

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री वीरमा राम (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

प्रपत्र - 5

वादी

1. श्रीमती नीलम चौधरी पत्नी श्री दिनेश चौधरी जाति जाट निवासी सी.आई. 5, महावीर नगर, बाड़मेर, तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 श्रीमती मालतीदेवी पत्नी डालूराम निवासी जाटों का पाड़ा, बलदेव नगर बाड़मेर। 2 अंतरीदेवी पत्नी मंगाराम जाति-जाट निवासी पानी की टंकी के पास बलदेव नगर बाड़मेर। 3 भावनाकंवर पत्नी मांगूसिंह जाति-राजपूत निवासी सबलसिंह की ढाणी बाड़मेर 4 मीरादेवी पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी बलदेव नगर बाड़मेर 5 रूपाराम पुत्र दमाराम जाति जाट निवासी धीरजी की ढाणी राजबेरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 6 रामकंवर पत्नी बाबूसिंह जाति राजपूत निवासी सिंहड़ार तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर 7 लक्ष्मीदेवी पत्नी विरधाराम जाति जाट निवासी उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर 8 वालीदेवी पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी हुडों की ढाणी तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर 9 गोमीदेवी पत्नी पेमाराम जाति जाट निवासी नवलाराम की चक्की के पास बलदेव नगर बाड़मेर 10 पांचीदेवी पत्नी भीखाराम जाति जाट निवासी उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर 11 बाबूसिंह पुत्र दोलतसिंह जाति राजपूत निवासी सिंहड़ार तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर 12 देवीसिंह पुत्र दानसिंह जाति राजपूत 13 रूखीदेवी पत्नी भीमाराम जाति नाई 14 नरपत पुत्र भीमाराम जाति नाई 15 प्रभूलाल पुत्र भीमाराम जाति नाई 16 बाबूसिंह पुत्र दानसिंह जाति राजपूत निवासीयान लालाणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 17 श्रीमान् तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

दावा बाबत् 53 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 299/2024

निर्णय दिनांक :- 14.05.2025

वकील वादी व वकील प्रतिवादी संख्या ...-..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.05.2025 को श्री वीरमा राम, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि:-

वादी का वाद तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद पत्र एवं तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर मौजा लालाणियों की ढाणी पटवार हल्का बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 803 रकबा 5.3661 हैक्टेयर भूमि का खातेदारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन कर लगान का निर्धारण किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	
1	नीलम चौधरी पत्नी दिनेश चौधरी जाति जाट निवासी महावीर नगर, बाड़मेर	803	0.3237	बा.दो.	0.12	गुलाबी
2	बाबूसिंह पुत्र दोलतसिंह 1/2 हिस्सा, राम कंवर पत्नी रामसिंह हिस्सा 1/2, जाति राजपूत निवासी सिंहड़ार तहसील फतेहगढ खातेदार	803	0.3237	बा.दो.	0.12	कबूतरी
	मीरादेवी पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी बलदेव नगर, बाड़मेर खातेदार	803	0.3237	बा.दो.	0.12	हरा




14.05.2025

4	लक्ष्मीदेवी पत्नी विरधाराम जाति जाट निवासी उण्डखा खातेदार	803	0.1619	बा.दो.	0.06	नारंगी
5.	पाचीदेवी पत्नी भीखाराम जाति जाट निवासी उण्डखा खातेदार	803	0.1619	बा.दो.	0.06	पीला
6.	1. अतरीदेवी पत्नी मगाराम हिस्सा 40/503 2. करनाराम पुत्र टीकमाराम हिस्सा 36/503 3. गोमी देवी पत्नी पेमाराम हिस्सा 20/503 4. देवीसिंह पुत्र दानसिंह हिस्सा 111/503 5. नरपत पुत्र भीमाराम हिस्सा 28/503 6. प्रभूलाल पुत्र भीमाराम हिस्सा 28/503 7. बाबुसिंह पुत्र दानसिंह हिस्सा 111/503 8. मुल्तानसिंह पुत्र पन्नालाल हिस्सा 20/503 9. मालती देवी पत्नी डालूराम हिस्सा 20/503 10. रूखीदेवी पत्नी भीमाराम हिस्सा 28/503 11. रूपाराम पुत्र दमाराम हिस्सा 41/503 12. वाली देवी पत्नी मोहनलाल हिस्सा 20/503 खातेदार	803	4.0712	बा.दो.	1.51	आसमानी

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह आज तारीख 14.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(वीरमा राम)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

वाद के खर्चे		प्रतिवादी	
वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	जोड़	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	जोड़
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			